Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में अध्यक्ष, नगर पालिका–बालेसर सत्ता 65 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगें हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *06 अगस्त, रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जोधपुर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये रेवत राम अध्यक्ष, नगर पालिका–बालेसर सत्ता, जिला जोधपुर को परिवादी से **65 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कब्जेशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने की एवज में रेवत राम तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता वर्तमान अध्यक्ष, नगर पालिका–बालेसर सत्ता, जिला जोधपुर द्वारा **1 लाख रुपये** की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी जोधपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्रीमती सुनिता कुमारी** द्वारा मय टीम **पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव** एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुये रेवत राम पुत्र श्री चुन्नीलाल निवासी गुमानियों का बेरा, बालेसर सत्ता, जिला जोधपुर हाल अध्यक्ष, नगर पालिका–बालेसर सत्ता, जिला जोधपुर को परिवादी से **65 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।